



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052022-236149
CG-DL-E-31052022-236149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2022/ज्येष्ठ 10, 1944

No. 383]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2022/JYAISHTHA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 404(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 245ब की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियमों में, नियम 44च के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"44चक. धारा 245ब की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा सुनाए गए किसी विनिर्णय या पारित किए गए आदेश के संबंध में उच्च न्यायालय को अपील फाइल किए जाने का प्ररूप और रीति— अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा सुनाए गए किसी विनिर्णय या पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 245ब की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारिती द्वारा या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के निदेश पर निर्धारण अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय को अपील फाइल किए

जाने का प्ररूप और रीति वही होगी जो उच्च न्यायालय में अपील फाईल किए जाने के लिए उस क्षेत्राधिकारिता वाले उच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित लागू प्रक्रिया में यथा उपबंधित है।"

[फा.सं. 57/2022/फा.सं.370142/31/2021-टीपीएल (भाग 3)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 346(अ) तारीख 10 मई, 2022 द्वारा संशोधित किया गया।